दिनांक 24.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 27/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को दिनॉकः 26.02.2025 को मनाये जाने वाले **महाशिवरात्रि पर्व एवं महाकुम्भ–2025 के दृष्टिगत** प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबन्धन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नांकित दिशा निर्देश दिये गयेः–

- महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कांवड़िये छोटे व बड़े समूहों में पैदल, विभिन्न वाहनों से शिव मंदिरों में जलाभिषेक हेतु जाते है, उनके आवागमन के मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जाये तथा सुरक्षा/यातायात व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस प्रवन्ध सुनिश्चित की जाय।
- जलाभिषेक हेतु प्रस्तावित धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समुचित पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय, आवश्यकतानुसार एण्टी–सेबोटॉज चेकिंग करायी जाय। भीड़ प्रबन्धन हेतु पर्याप्त ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग किया जाय। क्यू0आर0टी0 टीमों को स्ट्रेटेजिक प्वाइंट पर तैयारी हालत में रखा जाये।
- जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना/चौकी प्रभारियों, बीट कर्मियों तथा पीआरवी कर्मियों को कॉवड़ यात्रियों की सुरक्षा तथा सकुशल कांवड़ यात्रा हेतु ब्रीफ कर दिया जाये। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कांवड़ मार्गो पर थोड़ी–थोड़ी दूर पर पुलिस पिकेट/गश्त की व्यवस्था की जाये।
- वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण करते हुए ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था समय से पूर्ण करा लिया जाये तद्नुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विशेष रूप से रात्रि में किसी भी कॉवड़िया के साथ कोई मार्ग दुर्घटना न हो सके, इस हेतु विशेष पुलिस प्रबन्ध किया जाये।
- त्यौहार रजिस्टरों को अद्यावधिक करते हुए पूर्व वर्षों की प्रविष्टियों का अवलोकन कर लिया जाये तथा घटनायें होने की सम्भावना वाले स्थानों को चिन्हित कर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा ऐसे सभी स्थानों का भ्रमण करते हुए उन स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- समस्त थाना क्षेत्रों में शान्ति–समितियों तथा महाशिवरात्रि कार्यक्रम के आयोजकों, शिविर प्रबन्धकों, भण्डारा प्रबन्धकों आदि के साथ जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गोष्ठी कर कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न कराने हेतु योजना बना ली जाय।

- सभी शिव मन्दिरों, जनपद में पड़ने वाले मार्गों, संवेदनशील मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर विशेष सतर्कता बरती जाय। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- नदी घाटों पर गोताखोर/बोट उपकरण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन किया जाये।
- समस्त धार्मिक स्थलों एवं उसके आस–पास चेकिंग हेतु प्रातःकालीन पोस्टर पार्टी का गठन कर नियमित चेकिंग करायी जाय।
- महाकुम्भ–2025 के दृष्टिगत भारी संख्या में श्रद्धालु सभी प्रदेशों से आ रहे हैं, जो प्रयागराज के साथ–साथ अन्य धार्मिक जनपदों यथा अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर आदि में भी दर्शन हेतु जा रहे हैं अतः प्रदेश के सभी जनपदों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाये।
- महाकुम्भ–2025 के दृष्टिगत प्रदेश के सभी जनपदों में रेलवे/मेट्रो व बस स्टेशनों पर पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में भीड़ नियंत्रण हेतु पूर्व से कार्ययोजना बनाकर पर्याप्त पुलिस बल तथा चेकिंग पार्टी तैनात करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मो की मॉनीटरिंग करते हुये खबरों पर सर्तक दृष्टि रखा जाये तथा भ्रामक/आपत्ति जनक पोस्टों एवं अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा अफवाहों का तत्काल खण्डन किया जाये।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सामयिक सूचना के प्रति सतर्क रखते हुये विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाये एवं विभिन्न अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

उक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक 24.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 28/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जौनपुर/थाना सिकरारा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 24.02.2025 को थाना सिकरारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकरारा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकरारा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजकुमार निवासी भुईला थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।

जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 24.02.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेंहदावल बाइपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सतीश उर्फ घनश्याम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतीश उर्फ घनश्याम निवासी नोनहर थाना सूर्यपुरा बाजार जनपद रोहतास राज्य बिहार।

जनपद उन्नाव/थाना गंगाघाट

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.02.2025 को थाना गंगाघाट व थाना दही की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद उन्नाव, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 27 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त थाना दही पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी ग्राम बन्थर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 40 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.02.2025 की रात्रि थाना पहासू व क्राइम ब्रान्च की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सारंगपुर के पास बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस

टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मो0 मौज्जम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 40 हजार रूपये नगद बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना पहासू क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पहासू पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पहासू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 मौज्जम निवासी मोहल्ला शेखुवाड़ा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 40 हजार रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

3–01 पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 30 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.02.2025 को थाना पिलखुवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धौलाना रोड़ रजवाहा पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों

1–गुलफाम 2–बिजेन्द्र को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 30 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गुलफाम के विरूद्ध जनपद हापुड, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त बिजेन्द्र के विरूद्ध जनपद हापुड़, गाजियाबाद व गुजरात प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलफाम निवासी बहलीमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2–बिजेन्द्र निवासी उटरावली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 30 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मथुरा/थाना हाईवे

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 45 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **अन्य सामान आदि बरामद**

दिनॉकः 23.02.2025 को थाना हाईवे व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भरतपुर रोड के पास निर्माणाधीन कालोनी के पास पुलिस कार्यवाही

में अभियुक्त 1–सौरभ 2–सोनू घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 45 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, अन्य सामान आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 21.02.2025 को थाना हाईवे क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशाों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ निवासी ग्राम मदैम थाना राया जनपद मथुरा।

2–सोनू निवासी नगला बदना थाना बल्देव जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूट के 45 हजार रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 खोखा कारतूस 09 एमएम।

5–अन्य सामान आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना कृष्णानगर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली–सफेद (धातु) के आभूषण**
- **15 हजार 950 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त ई–रिक्शा**
- **चोरी की सम्पत्ति ब्रिकी के 50000/–रूपये UPI में डेविट फीज**
- **घटना में प्रयुक्त 03 लोहे का कटर बरामद**

दिनॉकः 24.02.2025 को थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पाल विहारी पुलिया अलीनगर रोड़ सुनहरा से 05 अभियुक्तों 1– पप्पू 2– किशन कुमार

3–03 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद (धातु) के आभूषण, 15 हजार 950 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त ई–रिक्शा, चोरी की सम्पत्ति ब्रिकी के 50000/–रूपये UPI में डेविट फ्रीज, घटना में प्रयुक्त 03 लोहे का कटर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पप्पू निवासी गुरूकुल रोड लोहा नगर, रेलवे कालोनी झोपड़पट्टी गुजरात, हालपता–एल 89 जीएफ0जे0जे0 कालोनी रघुवीर नगर , टैगोर नगर पश्चिमी, दिल्ली।

2–किशन कुमार निवासी गुरूकुल रोड लोहा नगर, रेलवे कालोनी झोपड़पट्टी गुजरात, हालपता–गजरघुवीर नगर, दिल्ली।

3–03 अभियुक्ता

बरामदगी

1–चोरी के पीली–सफेद (धातु) के आभूषण।

2–15 हजार 950 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त ई–रिक्शा।

4–चोरी की सम्पत्ति ब्रिकी के 50000/–रूपये UPI में डेविट फ्रीज।

5–घटना में प्रयुक्त 03 लोहे का कटर।

जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 22 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.02.2025 को थाना गौरीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टिकरिया तिराहा के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1–जुनैद

2–अरमान 3–मुसर्रफ अली उर्फ ननकू 4–मोईन खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 5–सुरजीत कुमार 6–मो0पट्टन 7–रफीक अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 22 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध जनपद अमेठी के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त अरमान के विरूद्ध जनपद अमेठी के विभिन्न थानो में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त मुसर्रफ अली के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गौरीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जुनैद निवासी खैरापुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

2–अरमान निवासी नारा अढ़नपुर थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी।

3–मुसर्रफ अली उर्फ ननकू निवासी हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

4–मोईन खान निवासी निहालपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

5–सुरजीत कुमार निवासी डुडेरी थाना कमरौली जनपद अमेठी।

6–मो0पट्टन निवासी पूरे परवानी थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

7–रफीक अहमद निवासी कोछित थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी की 22 मोटर साइकिल।

जनपद बलिया/थाना कोतवाली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 ट्रैक्टर, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.02.2025 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दियर के पास से 05 अभियुक्तों 1– रोहित कुमार 2– अश्वनी

3–आशीष 4–हेमन्त 5–रामकरन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 ट्रैक्टर, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.01.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रैक्टर, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित कुमार निवासी चतरा थाना कोपा जनपद छपरा बिहार।

2–अश्वनी निवासी फेफना थाना फेफना जनपद बलिया।

3–आशीष निवासी फेफना थाना फेफना जनपद बलिया।

4–हेमन्त निवासी कुरेजी थाना गडवार जनपद बलिया।

5–रामकरन निवासी सूर्यपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

बरामदगी

1–चोरी के 03 ट्रैक्टर, 02 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 41–41 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना कैण्ट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–वकील 2–विजय को सश्रम आजीवन कारावास व 41–41 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना नरौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना नरौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना हरपालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना हरपालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के कारावास की सजा व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/342 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हरेन्द्र 2–मोहित को 07–07 वर्ष के कारावास व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————